



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26436 वर्ष 2026

प्रिंस

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : आनंद कुमार, नंदिनी, रेनू चौकल

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक की ओर से दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

यह आवेदन आवेदक को केस क्राइम नंबर 367/2025, धारा 303(2), 317(2), 317(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन- सिम्भावली, जिला- हापुड़ में मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता पूरी तरह निर्दोष है और उसे किसी गुप्त मकसद से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता के घर में हुई चोरी के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता का नाम सह-आरोपी के इकबालिया बयान के माध्यम से सामने आया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक को अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के कब्जे से आभूषणों की झूठी बरामदगी दिखाई गई है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उक्त बरामदगी के आधार पर, आवेदक को एक साथ पांच अन्य मामलों में भी फंसाया गया है (इस जमानत याचिका के पैरा '11' में)। वर्तमान मामले और उपरोक्त मामलों के अलावा, आवेदक का दो अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है और इसका विवरण इस जमानत याचिका के पैरा '22' में दिया गया है। आवेदक 20.1.2026 से जेल में बंद है। यह भी निवेदन किया गया है कि यदि उसे रिहाई दी जाती है तो वह रिहाई का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

जमानत याचिका का विद्वान ए.जी.ए. ने पुरजोर विरोध किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, रिकॉर्ड, साक्ष्यों का अध्ययन करने और साथ ही आरोपों की प्रकृति और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

इसलिए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

आवेदक, प्रिंस को उपरोक्त मामले में व्यक्तिगत मुचलका भरने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i). आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii). आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।
- (iii). आवेदक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को स्वीकार करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, निचली अदालत जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अगस्त 6, 2026

केके पटेल



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।